

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-अजमेर/2019/


दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	पे मेट्रिक्स लेवल
1	सुश्री मनीषा डेनिस, कनिष्ठ सहायक, अजमेर।	29.06.2009	09 वर्ष	29.06.2018	एल-6
2	श्री अशोक कुमार, सहा प्रशा अधिकारी, ब्यावर, अजमेर	30.09.1991	27 वर्ष	30.09.2018	एल-11
3	श्रीमती दीपमाला शर्मा कनिष्ठ सहायक, अजमेर।	22.06.2009	09 वर्ष	22.06.2018	एल-6
4	श्री नरेश कुमार, सहा प्रशा अधि, अजमेर।	26.09.1991	27 वर्ष	26.09.2018	एल-11
5	श्री लक्ष्मण खण्डेलवाल, वरिष्ठ सहायक, अजमेर।	28.09.1991	27 वर्ष	28.09.2018	एल-11
6	श्री प्रेम सिंह रावत, वरिष्ठ सहायक, भीलवाड़ा।	28.09.1991	27 वर्ष	28.09.2018	एल-11

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।


(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

दिनांक : 12/03/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-अजमेर/2019/ 702

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय सघ, अजमेर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर/भीलवाड़ा।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, ब्यावर, अजमेर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
8. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर